

✱

28/04/25 वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र विज्ञापन का प्रेश  
 किया जिस पर जाहिल तलब की गई  
 वकील वादी ने विज्ञापन-पत्र को  
 आग्रह पर वादी का वाद विज्ञापन को  
 जाने का निवेदन किया। जिस पर  
 पत्रावली का अर्पण किया गया। अतः  
 पत्रावली वादी का वाद विज्ञापन-पत्र  
 के आग्रह पर खारिज किया जाता है।  
 पत्रावली के अग्रह पर खारिज होने पर  
 से एक कोटि। वास्तविक रूप में ही  
 आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

~~नोटवर्क~~  
~~Idarun~~  
~~100000~~

परमेश्वर अधिकारी  
 न्यायालय

